(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 58/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि बांग्लादेश और नेपाल में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "पटसन उत्पाद" अर्थात पटसन यार्न/ट्वेन (मल्टीप्ल फोल्डेड/केबल्ड और सिंगल) हेस्सियन फैब्रिक्स और जुट सैकिंग बैग्स (एतद्‌पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्‌पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 5307, 5310, 5607, 6305 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनुअरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 5 जनुअरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतद्‌पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/9/2021-डीजीटीआर, दिनांक 28 जून, 2021, जिसे दिनांक 28 जून, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनुअरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 5 जनुअरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 31 मई, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा"

[फाइल संख्या-190354/195/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनुअरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 5 जनुअरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, और जिसमे अंतिम बार संसोधन अधिसूचना संख्या 44/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 11 नवंबर, 2019, जिसे सा.का.नि. 834(अ), दिनांक 11 नवंबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।